dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टेली. फैक्स नं0 01360 275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक– 991 / 13- दिनांक , चकराता 26 सितम्बर 2017

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार,
मुख्यालय–कालसी।

विषय– जनपद देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सिलिखड्ड कुनैन मोटर मार्ग के किमी0 5 से सैंज तक मोटर निर्माण हेतु 5.3478 है0 वन भूमि को गैरवानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सदर्भ – अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1030 दि0 18.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सदर्भित पत्र के क्रम मे अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं0–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 94 / 2015 / एफ0सी0 / 971 दि0 11.09.2017 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के सदर्भित पत्र के अनुपालन में विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावेदन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा देय धनराशियों का विवरण निम्नानुसार है –

क्र0सं0	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल / लम्बाई	दर	देय धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण पर व्यय।	10.6956 है0	2,53,332 / –	27,09,538.00
2	एन0पी0वी0	5.3478 है0	6,57,000 / –	35,13,505.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ऑनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं0–4 के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक– 991 / 13-1 तददिनॉकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग, चकराता।